न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं० 18, बाराबंकी।

सरकार बनाम राकेश कुमार

अ० संख्या–257/2026
अंतर्गतधारा–281,106(1),324(4) बी.एन.एस.
थाना–कोतवाली नगर,जनपद– बाराबंकी

12.08.2026

प्रस्तुत ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से अ० संख्या–257/2026 अंतर्गत धारा–281,106(1),324(4) बी.एन.एस. थाना–कोतवाली नगर, जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत इस आशय का दिया गया है कि वह निर्दोष हैं। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया हैं और अभियुक्त द्वारा ज़मानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा अपराध को जमानतीय बताया गया है।

सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। रंजिश के कारण फंसाया जाना बताया गया है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आधार जमानत हेतु पर्याप्त हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार का ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 20,000/– रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समतुल्य धनराशि की एक प्रतिभू दाख़िल करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाता है।

(शाम्भवी यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०– 18, बाराबंकी